

**प्रारूप 8क**  
(नियम 13(4) और 26 देखिये)

**निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन**

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

..... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे\*/नीचे नामित व्यक्ति\* से संबंधित प्रविष्टि, इस निर्वाचन क्षेत्र की नामावली के सुसंगत भाग में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए। अन्यत्र रखी जाने वाली प्रविष्टि की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

1. उस व्यक्ति के जिसकी प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाना है, ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)
	उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग सं.	उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या
		निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं. (यदि जारी किया गया हो)
<u>पिता</u>	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
<u>माता का नाम</u>		
<u>पति</u>		
2. वर्तमान साधारण निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता)		
मकान/गृह संख्या		
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क		
नगर/ग्राम		
डाकघर	पिन कोड	
तहसील/तालुक/मंडल/थाना		
जिला		
3. आवेदन की मारीख को उपरोक्त पते पर लगातार निवास करने की अवधि	वर्ष:	मास:
4. वह भाग सं. जिसमें प्रविष्टि अन्यत्र रखी जानी है (यदि ज्ञात हो)		
5. आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)
	उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग सं.	उस भाग में उसका/उसकी क्रम सं.
		निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं. (यदि जारी किया गया है)

\$ उन संघ राज्यक्षेत्रों की जिनमें विधान सभा नहीं है और जम्मू-कश्मीर राज्य की दशा में।

\* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

@ जहाँ आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को अन्यत्र रखने की मांग करता है वहां भाग 5 नहीं भरा जाए।

.....

**आवेदन की रसीद**

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जो ..... \*\*का/की निवासी है  
से प्रारूप 8क में आवेदन प्राप्त हुआ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से  
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर

तारीख

पता

6. घोषणा:

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही हैं।

स्थान :

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणी : कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा-31 के अधीन दंडनीय है।

की गयी कार्यवाही के ब्यौरे

(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरी जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के स्वयं से श्री/श्रीमती/कुमारी से संबंधित प्रविष्टि को निर्वाचक नामावली में अन्यत्र रखने के लिए प्रारूप 8क में आवेदन को स्वीकार\*/नामंजूर\* कर दिया गया है।

\*स्वीकार किए जाने या नामंजूर किए जाने {नियम 26(4) के अधीन} के लिए विस्तृत कारण:

स्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर  
का हस्ताक्षर

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की  
मुहर)

तारीख

\* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।